न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–337/2026
खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–19/2026
अनिता देवी एवं अन्य – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

04.06.2026

आवेदिका/अभियुक्तगण–**1. अनिता देवी एवं 2. गायत्री देवी** की ओर से खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–19/2026, धारा–126(2), 115(2), 109, 76, 303(2), 352, 351(2), 3(5) BNS एवं 3(1)(r)(s)(w), 3(2)(va) SC/ST अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया, जिसे उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री मिथिलेश यादव के द्वारा प्रचालित किया गया है तथा जमानत की प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी है। पुकार पर आवेदिकागण न्यायालय में उपस्थित हुई, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदिका/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदिका निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें इस मामले में दुर्भावना एवं ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा संलिप्त किया गया है। आवेदिका की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिकागण के विरूद्ध कथित धाराओं के अन्तर्गत कोई मामला नहीं बनता है तथा यह मामला पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत एवं बनावटी है। वास्तविक तथ्य यह है कि सूचिका का पति शराब का विक्रेता और खरीददार है और नशे की हालत में दिनेश चौधरी मिठाई की दुकान पर आया और आवेदिकागण के पति एवं पिता श्रवण साह से बिना पैसे दिए जलेबी की मांग की। श्रवण साह ने जलेबी देने से इनकार कर दिया और दिनेश चौधरी ने गंदी गालियां देते हुए श्रवण साह से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान अन्य सह–आरोपी श्रवण साह का बचाव करने के लिए आ गए और पक्षों के बीच विवाद हुआ है। सह–अभियुक्त जितेन्द्र कुमार साह को माननीय न्यायालय द्वारा

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–337/2026
खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–19/2026

लगातार
04.06.2026

जमानत प्रदान किया गया है। आवेदिका मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होगा। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन के केस का सारांश यह है कि दिनांक 17.05.2026 को समय करीब 3–4 बजे संध्या में सूचिका अपने पति दिनेश चौधरी के साथ घर से खगड़िया बाजार जा रही थी, ज्योहि पक्की सड़क पर पहुँची तो उसके ग्रामीण श्रवण साह, श्रवण साह की पत्नी, जितेन्द्र कुमार साह, करण कुमार साह एवं गायत्री देवी हरवे– हथियार से लैस होकर एक साथ सभी मिलकर बोला, मादरचोद पासी हरिजन कहाँ जा रहा है? विरोध करने पर सभी मिलकर लोहे के रड एवं लाठी–डंडा से उसके पति दिनेश चौधरी को जान मारने की नियत से प्रहार किया तथा जितेन्द्र कुमार साह लोहे के रॉड से उसके पति के सिर पर मारकर जख्मी कर दिया एवं अन्य ने भी मारा एवं अन्य व्यक्ति मिलकर बीच सड़क पर सूचिका को भी नग्न कर मारपीट किया। इसी बीच जितेन्द्र कुमार साह ने उसके गले से सोने की जितिया कीमत लगभग– 20,000/–रू0 का छीन लिया। सूचिका के पति के आँख की रौशनी गायब है तथा उसके पति के पॉकेट से गायत्री देवी ने 3000 रू0 निकाल लिया। सूचिका के पति के गले से सोने का हनुमान जी की चकती करण कुमार साह ने ले लिया जिसका दाम–1,80,000/– रूपये होगा। घटना के बाद सूचिका के पति दिनेश चौधरी का इलाज सदर अस्पताल खगड़िया में चल रहा है। इलाज में व्यस्त रहने के कारण विलम्ब से आवेदन दी है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–337/2026
खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–19/2026

लगातार
04.06.2026

में आवदिकागण सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उभय पक्ष ग्रामीण हैं तथा प्रहार को दोहराकर आघात पहुँचाने का कथन नहीं है। अभिलेख पर कोई जब्ती सूची नहीं है तथा जातिसूचक गाली–गलौज किये जाने का आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है। जमानत आवेदन के पारा–3 के अनुसार, आवेदिकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिकागण महिला है तथा आज न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है, ऐसी दशा में उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्ष के तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों एवं ऊपर में वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल इस जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा उसे मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर, जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदिका/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	04.06.26
Date of Reserving Judgement/Order	——
Uploading Date	06.06.26
Uploading by	Nikhil Kumar. (D.E.O.)